... मध्य प्रदेश

R. 3264/PBR/2015

प्र0क्र /2014–15 /निगरानी

दिनांक 5.10.15 को श्री जितेन्द्र मिश्रा अभि0 द्वारा प्रस्तुत।

5.10.15

SO

Jitendra Mishra Adv
05/10/15
12:50 pm.

नरेन्द्र सिंह चौहान पुत्र श्री अमर सिंह चौहान निवासी चौहान प्याऊ थाटीपुर मुरार ग्वालियर

—— निगरानीकर्ता

बनाम

1 श्रीमती सुषमा दुबे
निवासी भिण्ड रोड पावर हाऊस के सामने गोले का मंदिर ग्वालियर

———प्रतिप्रार्थी

2 रामसेवक पुत्र श्री गैंदा लाल(फोत)
निवासी भिण्ड रोड गोले का मंदिर ग्वालियर

3. प्रेमनारायण वाजपेयी पुत्र श्री नवल किशोर निवासी वाटर वक्श भिण्ड

4 संतोष कुमार राठौर पुत्र श्री हाकिम सिंह निवासी गोरमी मेहगांव

5 श्रीमती राजरनी पत्नी श्री हरिकृष्ण निवास अरोरा पार्क भिण्ड

6. सुबोध पचौरी पुत्र श्री जीवन लाल पचौरी निवासी ललित पुर कालौनी ग्वा

——परफोर्मा पार्टी

क्रमशः 2

निगरानी अन्तर्गत धारा 50 म0प्र0 भू0राज0संहिता 1959 के तहत न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी महोदय के द्वारा प्रकरण क 25/2013–14 मे पारित आदेश दिनांक 25.08.2015 , 08.09.2015 एवं 18.09.2015 के विरूद्ध

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश–ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण कमांक निगरानी 3264–पीबीआर/2015 **जिला ग्वालियर**

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
13–10–2015	आवेदक अधिवक्ता द्वारा ग्राह्यता पर प्रस्तुत तर्को पर विचार किया गया । अनुविभागीय अधिकारी के आदेश दिनांक 25–8–15, 8–9–15 व 18–9–15 की सत्यप्रतिलिपियों का अवलोकन किया गया । प्रथमतः अनुविभागीय अधिकारी द्वारा 3 आदेशों के विरूद्ध एक ही निगरानी प्रस्तुत की गई है जो कि विधि अनुरूप कार्यवाही नहीं है । इसके अतिरिक्त आवेदक की ओर से स्वयं निगरानी मेमों में मृतक रामसेवक को औपचारिक पक्षकार दर्शाया गया है अतः अनुविभागीय अधिकारी द्वारा उसके नाम विलोपित करने में प्रथमदृष्टया विधिसंगत कार्यवाही की गई है अतः यह निगरानी आधारहीन होने से अग्राह्य की जाती है । (मनोज गोयल) अध्यक्ष	